# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

**पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.**

GCMS प्रकरण संख्या 2022/123

प्रकरण संख्या 78/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

1. कंकु पत्नि श्री मोतीलाल ब्राह्म्ण निवासी सेठवाना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।
2. कमलाशंकर पुत्र श्री मोहनलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी सेठवाना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।
3. गीता पुत्री श्री मोतीलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी सेठवाना, तहसील डूंगला, चित्तौड़गढ़।
4. गोदावरी पुत्री श्री मोतीलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी सेठवाना, तहसील डूंगला, चित्तौड़गढ़।
5. प्रेमशंकर पुत्र श्री मोहनलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी सेठवाना, तहसील डूंगला, चित्तौड़गढ़।
6. पुष्कर पुत्र श्री मोतीलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी सेठवाना, तहसील डूंगला, चित्तौड़गढ़।
7. लाली पुत्री श्री मोतीलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी सेठवाना, तहसील डूंगला, चित्तोड़गढ़।

..................प्राथीगण

**बनाम**

1. श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री केशरसिंह राजपुत, निवासी पिथलपुरा हवेली, कानोड़, उदयपुर।
2. श्री भारतसिंह पुत्र श्री केशरसिंह राजपुत, निवासी पिथलपुरा हवेली, कानोड़, उदयपुर।
3. श्री हरिसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह राजपुत, निवासी चेनपुरिया, तहसील कनोड़, उदयपुर।
4. श्रीमती प्रेमकुंवर पत्नि श्री अर्जुनसिंह राजपुत, निवासी चेनपुरिया, कानोड़, उदयपुर।
5. श्री खेमा पुत्र श्री हिरा रावत निवासी चेनपुरिया, तहसील कानोड़, उदयपुर।
6. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कानोड़, जिला उदयपुर।

.............अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर • जिला–उदयपुर (राज.) • सत्यमेव जयते

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री मुकेश कुमार डांगी।

## निर्णय

**दिनांक : 09.06.2022**

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पिथलुपरा हवेली, पटवार हल्का लूणदा, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत लूणदा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता [illegible]1 की आराजी संख्या 26 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 27 रकबा 1.5900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 28 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 29 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 30 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 31 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 32 रकबा 0.5500 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 3.5900 हैक्टेयर भूमि

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:41:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसमें प्रार्थी के अलावा किसी अन्य का किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार एवं अधिपत्य नहीं है।

2. उक्त वर्णित भूमि का आज दिन तक कभी भी सीमांकन नहीं हुआ है एवं न ही पक्की पत्थरगढ़ी हुई है, जिससे आये दिन सीमा संबंधी विवाद पैदा होने की संभावना रहती है। प्रार्थी अपनी खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि का इस कारण से सही ढ़ग से विकास भी नहीं कर पा रहा है एवं फसलों को बचाने के लिए भी प्रार्थीगण अपनी इस कृषि भूमि के चारो तरफ तारंबन्दी करवाना चाहता है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र बिनाय दिनांक 06.04.2022 को पैदा हुआ जब प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी के लिए कहा गया, तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही के लिए कहा गया।

3. अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की कृषि आराजियात मौजा पिथलुपरा हवेली, पटवार हल्का लूणदा, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत लूणदा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता सख्या 41 की आराजी संख्या 26 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 27 रकबा 1.5900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 28 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 29 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 30 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 31 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 32 रकबा 0.5500 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 3.5900 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसका नियमानुसार सीमांकन कर पक्की पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

4. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया विपक्षीगण को जरिय सूचना पत्र तलब किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा बाद तामिल भी [illegible] कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:41:39 IST
Reason: SelfAttested

5. हमने पत्रावली का अध्ययन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का [illegible] अधिवक्ता द्वारा की गई एक पक्षीय बहस पर मनन किया जिसमें मौजा पिथलुपरा हवेली, पटवार हल्का लूणदा, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत लूणदा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता सख्या 41 की आराजी संख्या 26 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 27 रकबा 1.5900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 28 रकबा 0.4600 हैक्टेयर,

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

आराजी संख्या 29 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 30 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 31 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 32 रकबा 0.5500 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 3.5900 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कानोड़ को 1000 रूपयें पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा पिथलुपरा हवेली, पटवार हल्का लूणदा, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत लूणदा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता सख्या 41 की आराजी संख्या 26 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 27 रकबा 1.5900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 28 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 29 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 30 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 31 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 32 रकबा 0.5500 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 3.5900 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते है।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला–उदयपुर (राज.))

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:41:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)